कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

क्र. 1085 / मु.स्वा.यो. / रा.वि. / न.पा.नि. / 2020 रायगढ़ दिनांक 21/09/2020

आवेदन आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनान्तर्गत बेलादुला मरीन ड्राईव एवं रामभाठा रोड में निर्मित दुकानों की आबंटन हेतु नगर निगम क्षेत्र के निवासियों से (18 से 40 वर्ष) आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 12/10/2020 तक कार्यालय में कार्यालयीन समयावधि में 50/– शुल्क नगद जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में दिनांक 13/10/2020 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	निर्मित दुकान स्थल	दु. क्र.	साईज (वर्गफीट)	आरक्षण की स्थिति	प्रीमियम राशि (प्रति दुकान)	प्रतिमाह किराया (प्रति दुकान)
1.	बेलादुला मरीन ड्राईव मेन रोड भूतल	11, 12	80	अ. ज. जा.	52,000/–	800/–
2.	बेलादुला मरीन ड्राईव भूतल	3	80	पिछड़ा वर्ग	8000/–	800/–
		12	80	अ. जा.		
		13	80	विधवा/परि.		
		18	80	शिक्षित बेरोजगार		
		~~19~~	~~80~~	~~महिला वर्ग~~		
		20	80	सामान्य		
3	बेलादुला मरीन ड्राईव प्रथम तल	10	80	अ. जा.		
		7	80	अ.ज.जा.		
		6	80	सामान्य		
4	रामभांठा भू–तल	3	80	सामान्य		

नियम व शर्तें :–

1. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाना होगा।
2. दुकानों हेतु आवेदन की संख्या अधिक होने पर पात्रता अनुसार लॉटरी पद्धति से चयन किया जावेगा।
3. किसी भी स्थल का दुकान के संख्या में कमी की जा सकती है तथा आमंत्रण सूचना निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ को होगा। जिसका कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
4. अन्य नियम व शर्तें आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगी।

17.09.2020

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1085 / रा.वि. / नपानि / 2020 रायगढ़ दिनॉक 21/09/2020

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
3. मान.महापौर / सभापति / नेता प्रतिपक्ष / राजस्व प्रभारी महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ को सूचनार्थ ।
5. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ ।
6. कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. सपादक (1) केलो प्रवाह (2) इस्पात टाईम्स साईज 8X2 को सूचनार्थ। उक्त सूचना का प्रकाशन कर देयक भुगतान हेतु समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित प्रेषित करें ।
8. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा एवं कार्यालय वेबसाईट मे प्रकाशन हेतु।

17.09.2020

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

O/C

21.9.2020

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

क्र. 1685 मु.स्वा.यो. / रा.वि. / न.पा.नि. / 2020 रायगढ़ दिनांक 21/05/2020

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनान्तर्गत दुकानों आवंटन हेतु पात्रता संबंधी नियम व शर्ते

1. आय,जाति, एवं निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो। (आय प्रमाण पत्र वर्ष 2019 – 2020 का, वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो)
2. आयु के संबंध मे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की अंकसूची आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित कर संलग्न करना होगा। आयु की गणना दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में किया जावेगा उक्त दिनांक की स्थिति मे हितग्राही की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
3. निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा एवं पूर्व में किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदन पत्र में दुकान का आरक्षित वर्ग अंकित करना अनिवार्य है ।
5. दुकान का आवंटन समिति द्वारा किया जावेगा ।
6. दुकान 03 वर्षीय लीज पर आवंटित की जावेगी अवधि पूर्ण होने एवं उक्त योजना के दिशा निर्देश का पालन सही ढंग से करते पाये जाने पर हितग्रही को उक्त दुकान किराया में 15 प्रतिशत् वृद्धि के साथ आगामी 03 वर्षो हेतु लीज नवीनीकरण किया जावेगा जिसका नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादन किया जावेगा।
7. दुकान का संचालन स्वंय के द्वारा किया जाना होगा, किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया जा सकता। दुकान आवंटन पश्चात् अहस्तांतरणीय होगी तथा हितग्राही के मृत्यु पश्चात उसके परिवार के सदस्यो के नाम से पात्रतानुसार हस्तांतरण योग्य होगी।
8. एक परिवार से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड / मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आवेदन पत्र के साथ आय,जाति, निवास, एवं आयु संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. दुकान आवंटन की स्वीकृति पश्चात् हितग्राही को एक सप्ताह के भीतर समस्त प्रीमियम राशि एवं शासन के नियमानुसार जी.एस.टी.सहित जमा कर दुकान का अनुबंध निष्पादन करना होगा,अन्यथा आवंटन निरस्त माना जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी एवं किसी प्रकार का आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
11. आवंटन पश्चात् हितग्राही को प्रतिमाह निर्धारित किराया नियमानुसार जी.एस.टी. सहित प्रतिमाह के 30 तारीख तक जमा करना होगा निर्धारित समयावधि में किराया राशि जमा नहीं होने पर नियमानुसार 12 प्रतिशत् सरचार्ज भुगतान करना होगा ।
12. अपूर्ण आवेदन पत्र जमा करने पर इस कार्यालय द्वारा पृथक से आवेदन पूर्ण करने हेतु किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जावेगी तथा आवेदन पत्र निरस्त मानी जावेगी ।
13. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनान्तर्गत पूर्व मे लाभान्वित परिवार इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि जानकारी अस्पष्ट दी जाती है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दी जावेगी ।
14. पात्र हितग्रहियों को दुकान आवंटन हेतु लॉटरी प्रक्रिया का तिथि एवं समय मोबाईल से सूचना दिया जावेगा तथा पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जावेगा।
15. दुकान का आवंटन नहीं होने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा इस हेतु किसी प्रकार कारण नहीं बताया जावेगा।
16. दुकानों का आवंटन आधिपत्य हितग्राही को यथा स्थिति में की जावेगी। हितग्राही द्वारा आबंटित दुकान का मरम्मत / साफ–सफाई स्वयं के व्यय से किया जावेगा नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का व्यय भुगतान तथा मरम्मत संधारण नहीं किया जावेगा।
17. आवंटित हितग्राही को अनुबंध नियम शर्तो तथा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के दिशा निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा नियमों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा आवंटन निरस्त कर अन्य पात्र हितग्राही को आबंटित कर दिया जावेगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

21-05-2020

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र

आवेदन पत्र शुल्क 50/- रसीद क्र. .... दिनांक ....

फोटो

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय –मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनान्तर्गत दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र ।
संदर्भ – आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना पत्र क्र. 1085/मु.स्वा. यो./रा.वि./न.पा.नि./2020 रायगढ़
दिनांक 21.09.2020

---000---

निवेदन है कि मेरे पास किसी प्रकार का रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है मुझे जीविकापार्जन हेतु आरक्षित वर्ग में से एक दुकान आवंटित करने की कृपा करें संदभ्रित पत्र के नियम व शर्त मुझे स्वीकार हैं। मेरा विवरण निम्नानुसार हैः–

1. आवेदक पूरा नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. आवेदक का उम्र (01.01.2020 की स्थिति में) ....
4. पूर्ण पता मोबाईल नबंर सहित ....

<u>आवंटन हेतु दुकान का विवरण :–</u>

1. दुकान स्थल का नाम ....
2. दुकान क्रमांक ....
3. आरक्षित वर्ग ....

<u>पात्रता हेतु निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें :–</u>

1. (1)निवास प्रमाण पत्र (2) आय प्रमाण पत्र (3) जाति प्रमाण पत्र (4) स्कूल अंकसूची
2. (5) आधार कार्ड/परिचय पत्र (6) पासपोर्ट फोटो

संलग्न :– पात्रता संबंधी नियम व शर्तें

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

टीप :– आमंत्रण सूचना पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 21.09.2020 में बैलादुला मरीन ड्राईव मेन रोड.– भूतल के दुकान क्रमांक 19 को विलोपित किया गया है कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1146 दिनांक 30.09.2020 के माध्यम से संशोधित किया गया है। उक्त दुकान क्रमांक 19 हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।

Scanned with CamScanner